Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22331

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक अपील संख्या.- 260/2005

संतोष कुमार सिंह एवं 2 अन्य

.............अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...........प्रतिवादी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता :- अशोक कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, राहुल कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :-शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 12

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

1. अपीलार्थी संख्या 1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार सिंह एवं प्रतिवादी-राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। अपीलार्थी संख्या 3- सरोज पाल सिंह के संबंध में अपील पहले ही उपशमित हो चुकी है।

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत तत्क्षणिक दांडिक अपील, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय.-IV, लखनऊ द्वारा सत्र विचारण संख्या-518/1995, राज्य बनाम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

सन्तोष कुमार सिंह एवं अन्य, जो कि वाद अपराध संख्या-223/1993, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, थाना आलमबाग, जनपद लखनऊ से उद्भूत है, में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.02.2005 के विरुद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को निम्नवत् दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया हैः-

(i) धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पाँच वर्ष का सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर 2,000/- रुपये का अर्थदंड तथा व्यतिक्रम की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास;

(ii) इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी-सूरज पाल सिंह को धारा 307/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पाँच वर्ष के कारावास तथा 2,000/- रुपये के अर्थदंड तथा व्यतिक्रम की दशा में छह माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है।

3. अभियोजन पक्ष के कथानक के अनुसार, यह घटना 03.08.1993 को घटित हुई बताई जाती है, जब अपीलार्थियों ने कथित तौर पर सूचनाकर्ता राम नाथ के पिता पर हमला किया और उन पर गोलियां चलाईं, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं और वे राहगीरों के हस्तक्षेप के कारण अपीलार्थियों से बच निकलने में सफल रहे। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित आदेश में उल्लिखित एक्स-रे आख्या के साथ चोट आख्या के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पीड़ित को आई चोटें सामान्य प्रकृति की थीं और परीक्षण करने वाले चिकित्सक, अभियोजन साक्षी 3 ने भी अपने दिए गए बयान में इन्हें सामान्य चोटें ही बताया था।

4. अभियुक्त-अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थियों को पूर्व में किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज किए जाने के बावजूद कि अपीलार्थियों का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं था, उन्हें परिवीक्षा अपराधी अधिनियम, 1958 का लाभ देने में विफलता हुई है, जिसके वे हकदार थे। इसके साथ ही, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि वह दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को चुनौती नहीं दे रहे हैं और अपने तर्कों को केवल सजा के आदेश तक ही सीमित रख रहे हैं।

5. अभियुक्त-अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में, आक्षेपित दोषसिद्धि निर्णय एवं आदेश के सम्बन्ध में यह अपील निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.02.2005 की पुष्टि की जाती है।

6. अभियुक्त-अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि अपीलार्थियों को पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है, विचारण न्यायालय को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (इसके पश्चात '1958 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों को लागू करना चाहिए था। यह आगे तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थियों को सजा सुनाते समय न तो 1958 अधिनियम के प्रावधानों को और न ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के प्रावधानों को ही लागू किया है। आक्षेपित निर्णय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 या 1958 अधिनियम के प्रावधानों का लाभ न देने के संबंध में किसी विशेष कारण का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

संहिता की धारा 361 को हितकारी प्रावधानों, अर्थात संहिता की धारा 360 या 1958 अधिनियम के प्रावधानों के साथ या बिना लागू किया जाना आवश्यक है। यदि न्यायालय इनमें से किसी भी प्रावधान को लागू न करने का विकल्प चुनता है, तो उसे उस स्थिति में हितकारी प्रावधान

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

लागू न करने के लिए विशेष कारण देना आवश्यक है, यदि अभियुक्त अपराधी अन्यथा संहिता की धारा 360 या 1958 अधिनियम की धारा 3 या 4 के प्रावधानों के लिए पात्र है।

7. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों के पास हितकारी विधान, अर्थात 1958 अधिनियम के प्रावधानों के लाभ का दावा करने का वैधानिक अधिकार है और न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 361 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 अथवा 1958 अधिनियम की धारा 3 या 4 की प्रयोज्यता पर विचार करे। यदि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 या 1958 अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था, तो न्यायालय को उसके लिए कारण अभिलेखित करने चाहिए थे। अतः, यह तर्क दिया गया है कि उस सीमा तक, आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 361 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण गंभीर अवैधता से युक्त है, इसलिए, इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस तर्क के साथ दाण्डिक अपील का विरोध किया है कि आक्षेपित निर्णय संपुष्टिपरक साक्ष्य के अनुसार स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि वे अपीलार्थी ही थे जिन्होंने घायल व्यक्ति पर गोलियां चलाई थीं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी चोटें आईं जो प्रकृति में घातक हो सकती थीं, जैसा कि परीक्षण करने वाले चिकित्सक अभियोजन साक्षी-3 द्वारा बयान दिया गया था। अतः यह तर्क दिया गया है कि चोटों की प्रकृति और संपुष्टिपरक साक्ष्य स्पष्ट रूप से उन धाराओं की प्रयोज्यता दर्शाते हैं जिनके अंतर्गत अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया गया है। हालांकि, यह स्वीकार किया गया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की प्रयोज्यता के संबंध में तर्क दिये जाने के बावजूद, उक्त लाभ पर चर्चा नहीं की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

धारा 360/361 के प्रावधानों के आलोक में, यह न्यायालय लाभ प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरांत, चूंकि केवल सदाचरण की परिवीक्षा के पहलू पर निर्णय लिया जा रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 और 361 सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात रिहा करने के आदेश से संबंधित हैं, यह प्रावधान करती हैं कि जहाँ 21 वर्ष से कम आयु का न होने वाला कोई व्यक्ति केवल जुर्माने से या सात वर्ष या उससे कम की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, या जब 21 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, और अपराधी के विरुद्ध कोई पिछला दोषसिद्धि सिद्ध नहीं है, तो दोषसिद्धि दर्ज करने वाले न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह अपराधी की आयु, चरित्र या पूर्ववृत्त और उन परिस्थितियों सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार करे जिनमें अपराध किया गया था, और अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा करना चाहिए तथा उसे किसी दंड की सजा देने के बजाय, यह निर्देश देना चाहिए कि उसे जमानतदारों के साथ या बिना बंध-पत्र निष्पादित करने पर रिहा किया जाए ताकि वह उक्त अवधि के दौरान शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए उपस्थित हो सके और सजा प्राप्त कर सके। ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा भी प्रावधान किया गया है।

10. उक्त संहिता की धारा 361 कुछ मामलों में विशेष कारण अभिलेखित किए जाने का निर्देश देती है, जिसके प्रभावस्वरूप यदि कोई अभियुक्त धारा 360 के लाभ का या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा बाल अधिनियम, 1960 के अंतर्गत किशोर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपराधियों के प्रशिक्षण या पुनर्वास से संबंधित किसी अन्य विधि के लाभ का पात्र है, किन्तु उसे ऐसा लाभ प्रदान नहीं किया गया है, तो न्यायालय अपने निर्णय में ऐसा न करने के लिए विशेष कारणों को अभिलेखित करेगा।

11. इस विषय पर केंद्रीय विधान, अर्थात् अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958, विशेष रूप से इसकी धारा 3 और 4, न्यायालय की उन शक्तियों को निर्दिष्ट करती है जिसके अंतर्गत कुछ अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात एवं कुछ अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया जा सकता है।

12. उत्तर प्रदेश राज्य में लागू राज्य विधान उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1938 है, जिसमें भी धारा 3 और 4 क्रमशः कुछ अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात और सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने की न्यायालय की शक्तियों से संबंधित हैं।

13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 और 361 की प्रयोज्यता के पहलू पर इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मिसरी लाल एवं अन्य,** 1982 CrLJ 1420 में प्रकाशित, मामले में विचार किया गया था। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

> *"26. ...उत्तर प्रदेश में धारा 360 के प्रयोग को वर्ष 1975 के एक अध्यादेश द्वारा वापस ले लिया गया था। उस अध्यादेश को निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, संख्या 16,/1976 लाया गया। इस अधिनियम को 30-4-1976 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और इसे 1-5-1976 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम की धारा 12 ने उक्त अध्यादेश को निरस्त कर दिया और यह निर्धारित किया कि ऐसे निरसन के बावजूद, अध्यादेश के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत*

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की गई मानी जाएगी, मानो यह अधिनियम दिनांक 28 नवम्बर, 1975 से प्रवृत्त हुआ हो। विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा वाद का निर्णय दिनांक 02.02.1976 को किया गया था। संशोधन अधिनियम संख्या 16/1976 की धारा 10 द्वारा संहिता की धारा 484 में संशोधन करते हुए खण्ड (घ) के उपरान्त निम्नलिखित खण्ड (ङ) जोड़ा गया:-

> *"(ङ)... संयुक्त प्रांत प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1938......उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावी बना रहेगा....तथा तदनुसार इस संहिता की धारा 360 के प्रावधान उस राज्य में लागू नहीं होंगे और धारा 361 के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे कि उसमें उल्लिखित केन्द्रीय अधिनियमों के संदर्भों के स्थान पर उस राज्य में प्रवृत्त तत्समकक्ष अधिनियम के संदर्भ प्रतिस्थापित माने जायेंगे।"*

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 361 यह उपबन्धित करती है कि जहाँ किसी मामले में न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति के साथ धारा 360 अथवा परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अधीन, या बाल अपराधी के साथ बाल अधिनियम, 1960 अथवा उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, जो बाल अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण अथवा पुनर्वास से संबंधित हो, के अधीन व्यवहार कर सकता था, किन्तु उसने ऐसा नहीं किया, तो वह ऐसा न करने के विशेष कारण अपने निर्णय में अभिलिखित करेगा।

उपरोक्त प्रावधान को ऊपर उल्लिखित धारा 484 के खण्ड (ङ) के साथ पढ़ने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह

Translated Version. Not for Legal Use.

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1938 के लाभ का विस्तार न किये जाने के विशेष कारण अभिलिखित करे।"

14. इस प्रकार, उन भौगोलिक क्षेत्रों में जहाँ उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम को प्रभावी बनाया गया है, वहाँ उसी के प्रावधानों का पालन किया जाएगा न कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 का पालन किया जाएगा। इस प्रकार, किसी विशेष क्षेत्र में परिवीक्षा अधिनियम का प्रवर्तन, उस विशिष्ट क्षेत्र में संहिता की धारा 360 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को अपवर्जित करता है, हालांकि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 361 के अंतर्गत प्रावधानित किए गए अनुसार, यह न्यायालय का अनिवार्य कर्तव्य होगा कि वह इस बात पर विचार करे कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ क्यों न प्रदान किया जाए।

15. जहाँ तक अभियुक्त-अपीलार्थी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान करने की वांछनीयता का प्रश्न है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सीताराम पासवान एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**, AIR 2005 SC 3534 में निम्नवत व्यवस्था मत व्यक्त किए है:-

"इस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय को वाद की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा अपराधी के चरित्र पर विचार करना आवश्यक है। अपराध की प्रकृति पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की गंभीरता तथा उससे पीड़ित पर पड़े प्रभाव का यथार्थवादी दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना चाहिए। परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अधीन अभियुक्त को उपलब्ध लाभ, उक्त प्रावधानों में निहित सीमाओं के अधीन है तथा "सकता है" शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अपराध की प्रकृति, अपराधी के चरित्र तथा वाद की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपराधी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 अथवा 4 के अधीन रिहा किया जाये अथवा नहीं, इसका विवेक न्यायालय में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

निहित है। परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अधीन शक्तियाँ न्यायालय में तब निहित होती हैं, जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जो मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय न हो। उक्त शक्ति का प्रयोग न्यायालय दोषसिद्धि दर्ज करते समय कर सकता है और यदि न्यायालय यह उपयुक्त समझे कि वाद की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा अपराधी के चरित्र सहित अन्य तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त को उक्त लाभ प्रदान किया जाना चाहिए, तो न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग अपीलीय अथवा पुनरीक्षण स्तर पर भी कर सकता है तथा यह न्यायालय भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील की सुनवाई करते समय इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है।"

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मोहम्मद हाशिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य,** AIR 2017 SC 660 में निम्नवत अभिमत व्यक्त किया है:-

*"20. ...**रतन लाल बनाम पंजाब राज्य, AIR 1965 SC 444 में**, न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने बहुमत की ओर से बोलते हुए इस प्रकार विचार व्यक्त किए है:-*

> *"यह अधिनियम दंडशास्त्र के क्षेत्र में सुधार की आधुनिक उदार प्रवृत्ति की प्रगति में एक मील का पत्थर है। यह इस सिद्धांत की मान्यता का परिणाम है कि आपराधिक विधि का उद्देश्य व्यक्तिगत अपराधी को दंडित करने से अधिक उसमें सुधार करना है। मोटे तौर पर कहा जाए तो, यह अधिनियम 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों और उससे अधिक आयु के अपराधियों, तथा मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के दोषी अपराधियों और कम गंभीर अपराध के दोषी अपराधियों के बीच अंतर करता है। जहाँ 21 वर्ष से अधिक*

Translated Version. Not for Legal Use.

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आयु के अपराधियों के मामले में, अधिनियम के उचित प्रावधानों में निर्धारित शर्तों के अधीन, उन्हें भर्त्सना के बाद या अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का पूर्ण विवेक न्यायालय को दिया गया है, वहीं 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के मामले में न्यायालय को यह व्यादेश दिया गया है कि वह उन्हें तब तक कारावास की सजा न सुनाए जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि मामले की परिस्थितियों, जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधियों का चरित्रभी शामिल है, को देखते हुए उनके साथ अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत व्यवहार करना वांछनीय नहीं है।"

17. वर्तमान मामले में उपरोक्त प्रावधानों और निर्णयों की प्रयोज्यता पर विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि घटना वर्ष 1993 में घटित हुई बताई गई है, जिसमें जुर्माने के साथ अधिकतम पाँच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। तब से अब तक तीन दशकों से अधिक का समय बीत चुका है।

18. जहाँ तक दोषसिद्धि के हिस्से का संबंध है, यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता, विपरीतता या त्रुटि नहीं पाता है, किंतु ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 1 एवं 2 को दी गई सजा में संशोधन की आवश्यकता है।

19. निम्नवत संशोधनों के साथ यह अपील ***आंशिक रूप से स्वीकृत*** की जाती है:-

19.1. अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 1 एवं 2 की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है। अपीलार्थी संख्या 1 एवं 2-अभियुक्तों की सजा को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि उन्हें

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ प्रदान तथा उन्हें इस शर्त पर परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है कि वे दोनों आज से एक वर्ष तक शांति और सदाचरण बनाए रखेंगे तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने व्यक्तिगत बंधपत्रों के साथ 30,000/-रुपये की दो जमानतें दाखिल करेंगे एवं इस आशय का एक वचन-पत्र भी देंगे कि वे आज से एक वर्ष की अवधि के दौरान शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे।उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अपीलार्थी संख्या 1 एवं 2 को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगतनी होगी। उपरोक्त बंधपत्र अपीलार्थी संख्या 1 एवं 2 द्वारा आज से एक माह के भीतर संबंधित न्यायालय को सूचित करते हुए जिला परिवीक्षा अधिकारी, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

20. आदेश की प्रमाणित प्रति आवश्यक अनुपालन हेतु तत्काल सम्बन्धित न्यायालय तथा जिला परिवीक्षा अधिकारी, लखनऊ को भी प्रेषित की जाये।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

मार्च 31, 2026

लक्ष्मण

Translated Version. Not for Legal Use.

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।